Registered

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/ 14531/1858 **दिनांकः–** 29.08.14

सेवा में,

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत, शेरघाटी के वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 564/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

29/8/14

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

नगर पंचायत, शेरघाटी
अंकेक्षण प्रतिवेदन सं.- 564/13-14
अवधि- 2010-11 से 2012-13

1. प्रस्तावनाः-

नगर पंचायत के वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) सामाजिक प्रकोष्ठ-I बिहार, पटना के एक लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 17.06.2013 से 22.06.2013 की अवधि मे किया गया।

2. प्रशासनः-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्य अवधि
1.	संगीता देवी	अध्यक्ष	01-04-10 से 27-09-11
2.	शकील खान	"	28-09-11 से 27-10-11
3.	रामलखन पासवान	"	28-10-11 से 08-06-12
4.	श्री चनारिक पासवान	"	09-06-12 से 31-03-13
5.	शकील खान	उपाध्यक्ष	01-04-10 से 08-06-12
6.	मो. शकील हैदर	"	09-06-12 से 31-03-13
7.	कुमार रामानुज	कार्यपालक पदाधिकारी	01-04-10 से 28-04-10
8.	श्री गुरफान अहमद	"	29-04-10 से 21-09-10
9.	श्री संजय कुमार रजनीश	"	22-09-10 से 02-02-11
10.	सुशील कुमार मिश्रा	"	03-02-11 से 02-01-12
11.	रामाशंकर सिंह	"	03-01-12 से 10-11-12
12.	कुमार ओकेश्वर	"	11-11-12 से 31-03-13

3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्रः-

लेखापरीक्षा के नमूना जांच किए गए पंजियों की सूची प्रतिवेदन की परिशिष्ट-1(अ) में दर्शाया गया है। जिन अभिलेखो एवं पंजियों को लेखापरीक्षा में उपस्थापित नहीं किया गया था या अधुरा संधारित था को परिशिष्ट-1(ब) में दर्शाया गया है।

4. पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनः-

शेरघाटी, नगर पंचायत द्वारा पूर्ववर्त्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं उनका अनुपालन वर्तमान लेखा परीक्षा दल को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप लंबित कंडिकाओं का निस्तारण नहीं हो सका।

क्र. सं.	अंकेक्षण प्रतिवेदन	अवधि	बकाया कंडिका	निस्तारित कंडिका	शेष कंडिका
1.	201/77-78	1974-75 से 1976-77	17	--	17
2.	244/78-79	1977-78	20	--	20
3.	94/91-92	1986-87 से 1990-91	31	--	31
4.	92/97-98	1991-92 से 1996-97	44	--	44
5.	69/2003-04	1997-98 से 2002-03	16	--	16

154

6.	406/2007-08	2003-04 से 2006-07	34	--	34
7.	147/2011-12	2007-08 से 2009-10	34	--	34
		कुल	196	शून्य	196

नगर पंचायत पदाधिकारी से अनुरोध है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सन्निहित कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अविलंब कार्रवाई की जाय तथा अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर निष्पादन हेतु स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना कार्यालय को प्रेषित किया जाय।

5. आंतरिक अंकेक्षण

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 97 में आंतरिक लेखा परीक्षा का स्पष्ट प्रावधान है। साथ ही बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 1928 (नियम 20,64, एवं 73(क)) इत्यादि में भी यह उपबंधित है कि आंतरिक जांच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी अथवा अन्य जिम्मेवार अधिकारी जिन्हें प्राधिकृत किया जाय के द्वारा किया जाएगा। इस तरह की जांच की व्यवस्था उचित नियंत्रण, अभिलेखों का संधारण अथवा वित्तीय अनियमितताओं को दूर करने हेतु की जाती है।

नगर पंचायत, शेरघाटी के अभिलेखों की नमूना जांच के क्रम में पाया गया कि इस तरह की जांच व्यवस्था नगर पंचायत प्राधिकारियों द्वारा नहीं किया गया जिसके कारण अनेक त्रुटियाँ घटित हुई तथा अंकेक्षण के दौरान दृष्टिगत हुई जिनका उल्लेख प्रतिवेदन की आगे के कंडिकाओं में किया गया है।

6. लेखापाल रोकड़ बही

लेखापाल रोकड़ बही के अनुसार वर्ष 2010-11 से 2012-13 की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित थी-

क्र.सं.	विवरण		2010-11	2011-12	2012-13
1.	प्राप्ति		10569110.93	17188153.43	27809812.15
2.	प्राप्ति	(i) अनुदान	6958800.00	12387169.00	18139549.00
		(ii) ब्याज	0	23128.00	680.00
		(iii) आंतरिक श्रोत	2002835.50	4102543.72	4297666.14
3.	जोड़ वर्ष की प्राप्त (i+ii+iii)		8961635.50	16512840.72	22437895.14
4.	कुल प्राप्ति वर्ष में (1+3)		19530746.43	33700994.15	50247707.29
5.	व्यय		2342593.00	5891182.00	10924548.00
6.	अंतशेष (4-5)		17188153.43	27809812.15	39323159.29

बैंक पासबुक अंतशेष

क्र.सं.	बैंक का नाम	खाता सं॰	राशि
1.	कोषागार	PLA216	31067624.00
2.	बैंक ऑफ बड़ौदा शेरघाटी (चालू खाता)	0110200000189	3197362.79
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा शेरघाटी (चालू खाता)	0110100003158	280426.00
4.	S.B.I शेरघाटी (चालू खाता)	11467797321	5564027.15
5.	पंजाब नेशनल बैंक, शेरघाटी	1686000100100977	16534.00
		कुलयोग	**40125973.94**

बैंक पासबुक एवं रोकड़ बही के संवरण शेष का (31.03.13) का अंतर = 802814.65

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) बैंक पासबुक एवं रोकड़बही के संवरण शेष के अंतर का समाधान, विवरणी तैयार कर अगले अकेक्षण में दिखाया जाय।

(ii) नगर पंचायत द्वारा दो बैंक खाताओं का संचालन चालू खाता के रूप में किया जा रहा था (BOI AC/No.- 110200000189 एवं SBI AC/No. 11467797321) जिस पर बैंक द्वारा अवशेष राशि पर किसी भी प्रकार का व्याज नहीं दिया जा रहा है। अतः उपरोक्त खाताओं को चालू खाता से बचत खाता में परिवर्तित किया जाय ताकि अवशेष राशि पर बैंक द्वारा सूद की प्राप्ति किया जा सके।

(iii) रोकड़ बही में मदवार एवं आय- व्यय विवरणी दर्ज नहीं था। अतः पृथक मदवार व्यय सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(vi) वर्ष के अंत में आय एवं व्यय का सार तैयार नहीं किया गया था।

जबाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा तथा चालू खाता की जगह बचत खाता खुलवाया जाएगा।

7. पिछड़ा क्षेत्र निधि अनुदान

क्र.सं.	विवरण		2010-11	2011-12	2012-13
1.	प्राप्ति शेष		3705915.00	3775421.00	7738087.00
2.	प्राप्ति	(i) अनुदान	0	3942361.00	--
		(ii) ब्याज	130252.00	269114.00	221975.00
3.	वर्ष की प्राप्ति (I + II)		130252.00	4211475.00	221975.00
4.	कुल प्राप्ति (1+3)		3836167.00	7986896.00	7960062.00
5.	व्यय	(i) योजना	60746.00	247776.00	4181646.00
		(ii) अन्य	--	1033.00	745.00
6.	कुल व्यय (I + II)		60746.00	248809.00	4182391.00
7.	अंतशेष (4-6)		3775421.00	7738087.00	3777671.00

बैंक पासबुक पंजाब नेशनल बैंक, शेरघाटी खाता सं.-1686000100061764 के अनुसार 31.03.2013 को अंतशेष = 3938610.00

बैंक पासबुक एवं रोकड़ बही के अंतशेष का अंतर = 160939.00

152

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) बैंक पासबुक एवं रोकड़बही के अंतशेष के अंतर विवरणी तैयार कर अगले अकेक्षण में दिखाया जाय।

(ii) वर्ष 2010–11 एवं 2012–13 में बी.आर.जी.एफ. अंतर्गत नगर पंचायत को कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई। इस संबंध में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि जिला परिषद से इस संबंध में वगचार किया जाएगा।

(iii) पुनः वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रतिशत नगण्य था। वर्ष 2010–11 में मात्र 0.61 लाख (08–09 की योजना दर) एवं 2011–12 में 2.48 लाख (2010–11 की योजना) ही व्यय हुआ। चयनित योजना के विरूद्ध प्राप्त राशि का समय कार्यान्वयण नहीं होने से अनुदान प्राप्त का उद्देश्य विफल हो जाता है। 2010–11 एवं 2011–12 में अनुदान का निराशजनक उपयोगिता का कारण स्पष्ट किया जाय। जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गयाा कि अनुदान पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा वर्त्तमान में टेंडर की प्रकिया शुरू कर दी गई है एवं निकट भविष्य में योजना में राशि खर्च करने की कार्यवायी की जा रही है। अतः अगले अंकेक्षण में स्पष्टतः खर्च की राशि दिखाया जाए।

8. गंदी वस्ती विकास कार्यक्रम

क्र.सं.	विवरण	2010–11	2011–12	2012–13
1.	प्राप्ति शेष	43338.01	47780.01	50187.01
2.	प्राप्ति (व्याज)	4442.00	2407.00	2551.00
3.	कुल प्राप्ति (1+2)	47780.01	50187.01	52738.01
4.	व्यय	0	0	0
5.	अंतशेष	47780.01	50187.01	52738.01

बैंक पासबुक पंजाब नेशनल बैंक, शेरघाटी खाता सं. 1686000100048833 के अनुसार 31.03.2013 को अंतशेष = 65686.01

बैंक पासबुक एवं रोकड़ बही के अंतशेष का अंतर = 12948.00

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) बैंक पासबुक एवं रोकड़बही के अंतशेष के अंतर समाधान विवरणी तैयार कर अगले अकेक्षण में दिखाया जाय।

(ii) इस मद में विगत तीन वर्षो में किसी प्रकार का व्यय नहीं किया गया तथा राशि अवरूद्ध रखा गया था। अगर इस मद में व्यय की संभावना नहीं है तो राशि को संस्वीकृत प्राधिकारी को वापस कर दिया जाय।

9. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

क्र.सं.	विवरण		2010–11	2011–12	2012–13
1.	प्राप्ति शेष		273687.69	285394.69	298634.69
2.	प्राप्ति	(i) अनुदान P/L खाता से स्थानांतरित	0	0	3000000.00
		(ii) ब्याज	11707.00	13240.00	14398.00
3.	वर्ष की प्राप्ति (1+11)		11707.00	13240.00	3014398.00
4.	कुल प्राप्ति		285394.69	298634.69	3313032.69
5.	व्यय		0	0	0
6.	अंतशेष		285394.69	298634.69	3313032.69

बैंक पासबुक खाता सं. 11467833644 (SBI शेरघाटी) के अनुसार 31.03.2013 को अंतशेष = 3369803.69

बैंक पासबुक एवं रोकड़ बही के अंतशेष का अंतर = 56771.00

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) बैंक पासबुक एवं रोकड़बही के अंतशेष के अंतर का समाधान विवरणी तैयार कर अगले अकेक्षण में दिखाया जाय।

(ii) इस मद में विगत तीन वर्षो में किसी प्रकार का व्यय नहीं किया गया था। समय योजना का कार्यान्वयन नहीं होने से अनुदान प्राप्त का उद्देश्य विफल हो जाता है। विगत तीन वर्षो में इस योजना के किसी प्रकार व्यय नहीं होने के कारण से इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

10. कबीर अंत्येष्टि

क्र.सं.	विवरण		2010–11	2011–12	2012–13
1.	प्राप्ति शेष		85412.00	16703.00	99790.00
2.	प्राप्ति	(i) अनुदान	--	181693.00	390000.00
		(ii) ब्याज	1791.00	669.00	7304.00
3.	वर्ष की प्राप्ति (1+11)		1791.00	182362.00	397304.00
4.	कुल प्राप्ति (1+3)		87203.00	199065.00	497094.00
5.	व्यय	(i) योजना	70500.00	99000.00	127500.00
		(ii) बैंक चार्ज	0	275.00	420.00
6.	कुल व्यय		70500.00	99275.00	127920.00
7.	अंतशेष		16703.00	99790.00	369174.00

अंकेक्षण टिप्पणी

बैंक पासबुक (खाता सं. 72600100057194), मध्य बिहार ग्रामीण बैंक के अनुसार 31.03.13 को अंतशेष = 369712.50

बैंक पासबुक एवं रोकड़ बही के अंतशेष का अंतर = 538.50

अंकेक्षण टिप्पणी

बैंक पासबुक एवं रोकड़बही के संवरण शेष का समाधान विवरणी तैयार कर अगले अकेक्षण में दिखाया जाय।

150

11. नहीं जमा

नगर पंचायत शेरघाटी के 'H' रसीद, विविध रसीद, दैनिक संग्रह पंजी एवं रोकड़ बही के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि श्री आदित्य प्रसाद गुप्ता (कर संग्राहक) एवं श्री देवेन्द्र पांडेय (कर दरोगा) द्वारा क्रमशः 24707.00 एवं 551952.00 की प्राप्ति हुई, परन्तु उक्त राशि को नगर पंचायत निधि में जमा नहीं किया गया था।

क्र.सं.	'H' रसीद सं. तिथि	वसूली गयी राशि	संदर्भ	कर संग्राहक का नाम
(i)	19601 से 24700 17.04.13 से 07.06.13	24707.00	होल्डिंग कर	आदित्य प्रसाद गुप्ता, कर संग्राहक
(ii)	19401 से 19500 12.03.13 से 19.06.13	77383.00	होल्डिंग कर	श्री देवेन्द्र पांडेय कर दरोगा
	विविध रसीद			
(iii)	56724 से 56800 16.08.11 से 17.11.11	151277.00	P.P.P मोड में दुकान निर्माण हेतु अग्रिम जमा	तदैव
(iv)	58691 से 58700 22.03.13 से 06.06.13	6050.00	अनुज्ञिप्त शुल्क	तदैव
(v)	58527 से 58546 12.02.13 से 27.02.13	85032.00	दुकान किराया	तदैव
(vi)	58501 से 58526 04.02.13 से 11.02.13	77360.00	तदैव	तदैव
(vii)	58547 से 58569 02.03.13 से 08.05.13	85876.00	तदैव	तदैव
(viii)	58570 से 58891 08.05.13' से 19.06.13	68974.00	तदैव	तदैव
	कुल योग	576659.00		

उपरोक्त राशि में से 18401.00 श्री आदित्य प्रसाद गुप्ता द्वारा दिनांक 22.06.13 को नाजीर के पास जमा कर दिया गया। शेष राशि 5,58,258.00 की राशि की वसूली अबिलंब सम्बन्धित कर संग्राहको से कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

जबाव में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि राशि की वसूली हेतु विभागीय कारवाई की जाएगी।

12. होल्डिंग कर का निर्धारण / पुनरीक्षण न किए जाने के कारण लाखों की संभावित राजस्व क्षति

नगर पंचायत शेरघाटी का गठन " अधिसूचित क्षेत्र समिति " के रूप में 8 मार्च 1975 में हुआ था संघ समिति के द्वारा जो गृह कर निर्धारण किया गया था वही मूल्यांकन एवं कर की राशि वर्ष 2010-11 तक लागू थी।

बिहार नगरपालिका अधिनियम 1922 की धारा 106 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 (भवनों की अवस्थिति, बनावट एवं उपयोग के अनुसार प्रतिवर्गफुट के लिए दर पर) तथा समय- समय पर राज्य सरकार द्वारा होल्डिंग कर का वार्षिक किराया मूल्य निर्धारण करने तथा प्राप्त किराया मूल्य का 9 प्रतिशत राशि गृहकर के रूप में निर्धारण करने का प्रावधान है। पुनः प्रत्येक पाँच वर्ष पर इसे पुनरीक्षण करने का भी प्रावधान है।

बिहार नगरपालिका अधिनियम तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के बावजूद प्रावधानानुसार नगर पंचायत शेरघाटी द्वारा वार्षिक किराया मूल्य का निर्धारण एवं तदनुसार होल्डिंग कर का निर्धारण/ पुनरीक्षण नहीं किया गया जबकि सरकार के पत्रांक 3777/06.08.07 द्वारा नगर पंचायत, शेरघाटी के वित्तीय वर्ष 2007-08 की वसूली का वार्षिक लक्ष्य 32,35,800.00 निर्धारण किया गया था।

स्थानीय कार्यालय द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2010-11 तक कुल गृह की संख्या 2300 थी तथा वार्षिक मांग मात्र 22,200.00 था ।

होल्डिंग कर निर्धारण संबंधी संचिका के अवलोकन में पाया गया कि इस कार्यालय के पत्रांक 844 दिनांक 23.11.2007 द्वारा सरकार के पत्रांक 4596 दिनांक 04.10. 2007 के आलोक में दिनांक 03.08.2007 को बोर्ड द्वारा पारित भवनों का वर्गीकरण/ सड़क वर्गीकरण/ का दर की स्वीकृति हेतु भेजा गया। जिसकी स्वीकृति सरकार अपने पत्र सं॰ 4171 क. 01/07-211/नॅवि॰आॅवि॰ दिनांक 11-01-2008 के द्वारा दी तथा निर्देश दिया गया कि अनुमोदित होल्डिंग कर दर तालिका को जिला बजट में प्रकाशित कराकर भवन कर निर्धारण की प्रक्रिया अविलम्ब प्रारम्भ की जाय।

कार्यालय के ज्ञा॰111 दिनांक 22-08-2008 के द्वारा भी अर्जुन रविदास, नगर विकास पदाधिकारी, शेरघाटी को कर निर्धारण पदाधिकारी के रूप में स्वीकृति प्रदान करने हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा गया तथा यह भी उक्त पत्र में स्पष्ट किया गया कि स्वीकृति के प्रत्याशा में गृहकर निर्धारण का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है ।

पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 490/8.7.09, 3691 28.06.10 तथा 136/31.3.11 के द्वारा बार- बार जिला पदाधिकारी गया को सरकार से स्वीकृति दर तालिका को जिला गजट में प्रकाशित कराने हेतु अनुरोध किया गया।

जिला गजट में दर तालिका के प्रकाशन (सं॰ 155/ रा॰ गया दिनांक 11.04.2011) के पश्चात पुनः राज्य सरकार को भी सुशील कुमार मिश्रा, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, शेरघाटी को कर निर्धारण पदाधिकारी के रूप में कार्य करने की स्वीकृति प्रदान करने की अनुमति मांगी गई तथा यह भी स्पष्ट किया गया था कि स्वीकृति की प्रत्याशा में गृह कर निर्धारण का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है (पत्रांक 170/ 21.04.11)।

पुनः दिनांक 25.08.2011 के सामान्य बैठक के प्रस्ताव सं॰ 05 में यह निर्णय लिया गया कि जो गृहस्वामी स्वेच्छा से गृहकर निर्धारण कराना चाहते हैं उनके द्वारा स्वकर निर्धारण प्रपत्र में सूचनाएँ भरकर कार्यालय में जमा किया जाएगा तथा तदनुसार नियमानुसार कर निर्धारण किया जाएगा। सभी गृहस्वामियों को सूचना दिनांक 05-09-11 को दी गई। संचिका में संलग्न सूचना से यह स्पष्ट नहीं है कि दिनांक 05-09-11 को हस्ताक्षरित सूचना के द्वारा सभी गृहस्वामी से अनुरोध किया गया कि नगर पंचायत कार्यालय में कर निर्धारण प्रपत्र में सम्पत्ति/ भवनों का ब्यौरा (मापी इत्यादि) समर्पित करेंगे तथा निर्धारणोंपरांत कर भुगतान कर रसीद प्राप्त करेंगे।

स्वकर निर्धारण पंजी के अनुसार 25.10.11 से 13.06.13 तक कुल 1564 (25-10-11 से 31-03-12 -249 + 01.04.12 से 31-03-13-1204 +

148

01-01-13 से 13-06-13 -11) जिसमें से कुल 20 वार्डो के 1528 होल्डिंग का कर निर्धारण किया गया जो वर्ष 2011-12 से लागू किया गया। विदित है कि नगर पंचायत अन्तर्गत कुल 20 वार्डो में कम से कम 6091 गृह की संख्या थी।

लेखापरीक्षा टिप्पणी

होल्डिंग कर निर्धारण में कारवाई पूर्ण नहीं किया जाना-

पुर्ववर्ती तथ्यों से यह स्पष्ट है कि होल्डिंग कर निर्धारण प्रक्रिया में पूर्णतः उदासीनता बरती गई। निम्न बिन्दुओं पर लेखापरीक्षा को वस्तुस्थिति में अवगत नहीं कराया गया।

(i) किन परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11-01-08 को गृहकर निर्धारण हेतु दर तालिका के अनुमोदन के पश्चात जिला गजट में दिनांक 11-04-11 (3 साल से भी अधिक) को प्रकाशित हुआ तथा अभी तक निर्धारण की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई।

(ii) राज्य सरकार के पत्रांक 111/22-08-08 तथा 170/21-04-11 के द्वारा कर निर्धारण पदाधिकारी, की स्वीकृति प्रदान करने हेतु आग्रह किया गया था जिसमें यह भी उल्लेख किया गया था कि स्वीकृति की प्रत्याशा में गृहकर निर्धारण का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। सरकार की ओर से प्राप्त कोई आदेश/ स्वीकृति यदि थी तो अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया साथ ही कर निर्धारण पदाधिकारी द्वारा क्या कारवाई की गई यह भी अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया।

(iii) दिनांक 25-08-11 को आयोजित सामान्य बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो गृहस्वामी स्वेच्छा से गृहकर निर्धारण कराना चाहते है वो स्वकर निर्धारण प्रपत्र में सूचना कार्यालय में दें।

जिन गृहस्वामी द्वारा स्वेच्छा से स्वकर निर्धारण प्रपत्र में सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है, उनके संबंध में प्रस्ताव में उल्लेख नहीं पाया गया। विदित है कि न०प० में गृहकर का दर 1975 से ही लागू है।

दिनांक 05-09-11 को निर्गत सूचना में कर निर्धारण प्रपत्र के कार्यालय में समर्पित करने की कोई समय सीमा नहीं दी गई। फलस्वरूप कम से कम लगभग 6091 गृह में से मात्र 1564 गृह स्वामी द्वारा ही प्रपत्र प्रस्तुत किए गए वो भी 25.10.11 से 13.6.13 तक की, अवधि में। उक्त प्राप्त 1564 में से अब तक मात्र 1528 होल्डिंग का ही कर निर्धारण किया गया। स्पष्ट है कि राज्य सरकार से दरों की स्वीकृति के पाँच साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद मात्र 25 प्रतिशत लगभग होल्डिंग का ही कर निर्धारण किया जा सका। कर निर्धारण गृह स्वामी के मर्जी पर था। शेष 75 प्रतिशत गृहस्वामियों द्वारा न तो स्वकर निर्धारण प्रपत्र कार्यालय में समर्पित किया गया न ही कार्यालय द्वारा उन होल्डिंग से कर निर्धारण एवं वसूली का कोई प्रयास किया गया।

किन कारणों/ परिस्थिति में समय पर अथवा निर्धारित समयावधि का लक्ष्य तय कर सम्पूर्ण होल्डिंग का कर निर्धारण नहीं किया गया, अंकेक्षण में नहीं बताया गया ।

(iv) निर्धारण अन्तर्गत कर का निर्धारण किए गए कुल 1528 गृहों में से 40 गृहों का नया दर के आधार पर (वर्ष 2011-12 से) तथा पूर्व से लागु दरों के आधार पर वार्षिक मांग की तुलनात्मक अध्ययन में पाया गया कि कुल 40 भवनों के विरूद्ध

वार्षिक मांग में बढ़ोत्तरी 768.40 से 7570.40 पाया गया जो कि पूर्व की तुलना में लगभग 100 गुण अधिक है। इस प्रकार कर निर्धारण प्रक्रिया में बिलम्ब के कारण लाखों की क्षति हो रही है।

(vi) नगर पंचायत अन्तर्गत वास्तव में कुल 20 वार्डो में कितना होल्डिंग अवस्थित है अबतक इसका आकलन भी नहीं किया गया।

(v) मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया जाना–

मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं पाया गया। फलस्वरूप न० प० का गृहकर का वार्षिक मांग, बकाया गृहकर की स्थिति ज्ञात नहीं हो सका। मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं होने के कारण राजस्व की क्षति की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

चूँकि गृहकर नगर पंचायत के आय का मुख्य श्रोत है। अतः उच्च अधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जातां है कि अविलम्ब नगर पंचायत अन्तर्गत अवस्थित सभी होल्डिंग को चिन्हित की जाय तथा नियमानुसार राज्य सरकार के निर्देश को ध्यान में रखते हुए गृहकर का निर्धारण सुनिश्चित की जाय।

जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि इस कार्यालय के पत्रांक 111 दिनांक 22–08–08 तथा पत्रांक 170/21–04–11 के द्वारा गृहकर निर्धारण पदाधिकारी की नियुक्ति की स्वीकृति हेतु पत्र भेजा गया था। परन्तु स्वीकृति अप्राप्त है। अतः मिले निर्देश के आलोक में अविलम्ब गृहकर निर्धारण हेतु तीन सदस्यों की टीम का गठन करते हुए अतिशीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।

13. बन्दोबस्ती राशि का 3% बराबर मूल्य के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा नहीं किए जाने से राजस्व की क्षति (रु. 1.11 लाख)

वर्ष 2010–11 से 2012–13 के दौरान हुए सैरातों की बन्दोबस्ती में बन्दोबस्ती के 3% के बराबर मूल्य के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा नहीं किया गया, जबकि सरकार के निर्देशानुसार पत्रांक 1920/री०/मु०/सचिव दिनांक 14.08.2002 तथा सचिव सह आई० जी० पंजीयन के पत्र सं० 549 दिनांक 15–03–05, सैरातों की बन्दोबस्ती का एकरारनामा बंदोबस्ती मूल्य के 3% के स्टाम्प पेपर पर किया जाना है।

फलस्वरूप निम्न बन्दोबस्ती में कुल रु. 1,10,693.00 की राजस्व की क्षति हुई जिसकी वसूली संबंधित व्यक्ति से की जाय।

			बन्दोबस्ती राशि		नाम
1	प्राइवेट बस स्टैण्ड	(10–11)	8,65,000	20/–	रहनेशाम जौहर
		(11–12)	9,91,000	20/–	
		(12–13)	10,25,000	100/–	
2	पार्किंग कर	(10–11)	2,25,100	20/–	
		(11–12)	2,93,000	20/–	
		(12–13)	3,00,000	100/–	
			36,99,100	280	
		3%	1,10,973		

1,10,973– 280= 1,10,693

जबाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि संबंधित विभाग से पत्राचार कर निर्देश प्राप्त करने के पश्चात उक्त राशि रु॰ 1,10,693 जमा करने की कार्यवाई की जा सकती है। भविष्य में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर बन्दोबस्ती में एकरारनामा उचित स्टाम्प पेपर पर की जाएगी।

14. मोबाइल टावर पर पंजीयन एवं नवीकरण शुल्क बकाया (6.14 लाख)

बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 के अनुसार नगर पंचायत में अधिष्ठापित मोबाईल टावर कम्पनी से प्रत्येक टावर पर ₹30,000 की दर से पंजीयन शुल्क एवं प्रत्येक वर्ष (अधिष्ठापन के एक बर्ष बाद से) रु. 8000.00 की दर से नवीकरण शुल्क लिए जाने का प्रावधान है।

नगर पंचायत द्वारा प्रस्तुत विवरणी (परिशिष्ट– II) के अनुसार नगर पंचायत अन्तर्गत अधिष्ठापित विभिन्न मोबाईल टावर कम्पनियों पर रु. 6.14 लाख का किराया / शुल्क वसूली हेतु लंबित है।

अतः उक्त राशि की वसूली कर स्थानीय लेखापरीक्षा को सूचित करें एवं वसूली गयी राशि अगले अंकेक्षण दल को भी दिखाया जाय।

जबाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि राशि की वसूली हेतु संबंधित कम्पनियों को नोटिस दी जा रही है।

15. पिछड़ा क्षेत्र निधि अनुदन की योजनाओं की स्थिति

नगर पंचायत पिछड़ा क्षेत्र निधि अनुदान योजना पंजी एवं योजना विवरणी के अनुसार योजनाओ की स्थिति निम्न दर थी ।

वर्ष	योजनाओं की सं॰	पूर्ण	अपूर्ण	कुल व्यय
2010–11	1	0	1	271131.00
2011–12	16	15	1	4511223.00
कुल योग	17	15	2	4782354.00

योजना सं॰ 1/10–11 एवं 20/11–12 अपूर्ण पायी गयी।

(क) योजना सं॰ 0/10–11

योजना का नाम – वार्ड सं॰ 2 में सामुदायिक भवन निर्माण

प्राप्त राशि – 500000.00 (एकरारनामा राशि)

मापी की राशि – 380943.00

भुगतान – 271131.00 (कर सहित)

संवेदक– श्री अमरेन्द्र कुमार

कार्यादेश की तिथि–. 14.07.2010

कार्य पूरा करने की निर्धारित तिथि : 60 दिन

भौतिक स्थिति – अपूर्ण

संचिका के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि कार्यादेश (दिनांक 14.07.10) के अनुसार कार्यादेश की तिथि से 60 दिनों में संवेदक को कार्य पूरा करना था परन्तु कार्य अपूर्ण पाया गया। दिनांक 20.02.2012 के बाद कार्य प्रगति शून्य था। लगभग 2 साल 11 महीने बीत जाने के बाद योजना क्यों अपूर्ण थी इस बात का संचिका में कोई जिक्र नहीं पाया गया।

(ख) योजना सं॰ 20/11–12

योजना का नाम – वार्ड नं॰ 13 में सभा भवन निर्माण

प्राप्त राशि– 585000.00

मापी की राशि– 354524.00 (M.B उपलब्ध नहीं)

एकरारनामा की राशि– 585000.00

भुगतान– 354523.00

मापी पुस्तिका– संचिका में उपलब्ध नहीं, संचिका के अनुसार M.B की राशि 354424.00 (257186+97338)

कार्यादेश की तिथि – 22.02.2012

कार्य पूरा करने की निश्चित तिथि – 60 दिन

संचिका के अवलोकन कें क्रम में पाया गया कि लगभग एक साल 4 महीने बीत जाने के बाद की योजना अपूर्ण थी। संचिका में मापी पुस्तिका नहीं था अतः कार्य की वास्तविक स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी, परन्तु संचिका Noting के अनुसार कार्य का मूल्यांकण (04.10.2012 को) रु. 354523.00 पाया गया।

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) किन कारणों से दो योजनाएँ (यो. सं. 01/10–11 एवं 20/11–12) क्रमशः 2 साल 11 महीने एवं एक साथ 4 महीने बीत जाने के बाद भी अपूर्ण थी। इस संबंध में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि योजना से 01/10–11 (वार्ड न. 2 में सामुदायिक भवन निर्माण) योजना के संवेदक को कार्यपूर्ण करने हेतु नोटिस भेजा गया है। योजना सं. 20/11–12 (वार्ड न. 13 में सभाभवन निर्माण) के संबंध ने बताया गया कि कार्य पूर्ण है तथा मापी पुस्तिका अंतिम जाँच हेतु कार्यपालक अभियन्ता स्तर पर है। नगर पंचायत द्वारा दिया गया जवाब संतोषप्रद एवं तर्कसंगत नहीं है। अतः संतोषप्रद जवाब मिलने तक संवेदक को भुगतान की गयी राशि रु. 625654 (271131+ 354523) अंकेक्षण आपित्त के अधीन रखी जाती है।

(ii) श्रम संसाधन, बिहार सरकार के निर्देशानुसार सभी लोक निर्माण कार्यों पर 1% (कुल व्यय का) श्रम सेस के रूप में कटौती करने के पश्चात ही संवेदक को शेष राशि का भुगतान करना था, परन्तु नगर पंचायत द्वारा 1% की दर से श्रम सेस की कटौती किए

बिना ही संवेदक को योजनाओं पर भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार BRGF योजनाओं पर श्रम सेस के रूप में 47824.00 (4782354.00 का 1%) की कटौती नहीं की गयी। उक्त राशि की कटौती/वसूली सम्बन्धित/ जिम्मेवार व्यक्ति से कर सम्बन्धित सरकारी शीर्ष में जमा किया जाय।

जबाव में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि प्राक्कलन में प्रावधान नहीं होने के कारण लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है। भविष्य की योजनाओं की प्राक्कलन में प्रावधान कर उचित दर से कटौती की जाएगी।

पंचायत समिति द्वारा दिया गया जबाव तर्कसंगत नहीं है एवं अंकेक्षण में मान्य नहीं है।

16. ससमय कार्यपूर्ण नहीं होने पर संवेदक के विपत्र से Penalty की कटौती नहीं

नगर पंचायत, शेरघाटी के योजना संचिका के नमूना जाँच के क्रम में पाया गया कि संवेदको द्वारा कार्य को समय पर (एकरारनामे के अनुसार) पूर्ण नहीं कराया जाता था। नियमानुसार संवेदक द्वारा बिलंब से कार्य पूर्ण करने की स्थिति में प्रा॰ राशि का 1/2% प्रतिदिन (अधिकत्तम 10%) का Penalty लगाने का प्रावधान है। योजनाओं का विवरण निम्न है–

(क) योजना से 35/11–12 (आंतरिक संसाधन) योजना का नाम – वार्ड न॰ 17 में बासीर मियाँ के घर से इमामुद्दिन मियाँ के घर तक नाला निर्माण।

प्रा॰ राशि – 139100.00 (प्रा॰ दर पर)
मापी की राशि – 139100.00
भुगतान – 139100.00

कार्यादेश – 22.02.12 (के अनुसार कार्य पूर्ण करने का समय 60 दिन)
कार्य में विलंब– लगभग 1 साल
संवेदक – श्री सुनिल कुमार

(ख) योजना सं. 01/11–12 बी.आर.जी.एफ

योजना का नाम – वार्ड नं. 18 में पी.सी.सी रोड एवं ढ्क्कन सहित नाला एवं R.C.C पुलिया निर्माण।

प्रा॰ राशि – 660700.00 (15% कम पर)
मापी की राशि – 660700.00
एकरारनामा की राशि – 561595.00
भुगतान – 561595.00
कार्यादेश – 22.02.12 (कार्य पूर्ण करने तिथि 60 दिन)
कार्य में विलंब – 2 महीने लगभग
संवेदक – श्री रवि कुमार

(ग) योजना सं. 06/11-12 बी.आर.जी.एफ

प्रा॰ राशि – 257500.00 (प्राप्त दर पर)

मापी की राशि – 257446.00

भुगतान – 257446.00

कार्यादेश – 22.02.12 (कार्य पूरा करने तिथि 60 दिन)

कार्य में विलंब – लगभग 6 महीने

संवेदक – संजीवा रेड्डी

अंकेक्षण टिप्पणी

उपरोक्त तीनों योजनाओं में 4 महीने से एक साल तक कार्य संवेदक द्वारा विलंब से पूर्ण कराया गया, परन्तु संवेदक के विपत्र से 10% की दर से/प्रा॰ राशि का/ Penalty की कटौती किए बिना ही पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया। इस संबंध में नगर पंचायत द्वारा संवेदकों को किसी प्रकार का समय विस्तार नहीं दिया गया और न ही संवेदकों द्वारा समय विस्तार हेतु आवेदन ही दिया गया था। संवेदकों के विपत्र से 105730.00 (139100+ 660700+ 257500= 1057300 का 10%) की कटौती नहीं की गयी। Penalty के रूप में कटौती योग्य राशि रु. 105730.00 सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति से वसूलनीय है। राशि वसूली कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाय।

नगर पंचायत द्वारा जवाब में बताया गया कि संबंधित संवेदकों को ससमय कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण 10% Penalty राशि जमा करने हेतु नोटिस भेजा जाएगा।

17. रायल्टी एवं आय कर कटौती राशि सम्बन्धित सरकारी शीर्ष में जमा नहीं (रु. 2. 18 लाख)

रायल्टी एवं आयकर कटौती रोकड़ बही के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि रायल्टी एवं आयकर कटौती की राशि क्रमशः 98934.10 एवं 118856.00 सम्बन्धित सरकारी शीर्ष में जमा नहीं किया गया था। विवरण निम्नवत है :

17. रायल्टी एवं वैट कटौती राशि जमा नहीं (2.18 लाख)

रॉयल्टी रोकड़ बही

क्र0सं0	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13
1.	प्रा॰ शेष	35822.10	35822.10	35822.10
2.	कटौती	0	0	63112.00
3.	कुल वैट	35822.10	35822.10	98934.00
4.	जमा	0	0	0
5.	अंतशेष	35822.10	35822.10	98934.00

आयकर रोकड़ बही

क्र0सं0	विवरण	2010-11(27. 09.11 से)	2011-12	2012-13
1.	प्रा॰ शेष		4887.00	32254.00
2.	कटौती		27367.00	86602.00
3.	कुल कटौती		32254.00	118856.00
4.	जमा		0	0
5.	अंतशेष		32254.00	118856.00

142

अंकेक्षण टिप्पणी

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि नगर पंचायत, शेरघाटी द्वारा रायल्टी एवं आय कर मद में कटौती की गयी राशि को सम्बन्धित सरकारी शीर्ष में जमा नहीं किया जा रहा था। रायल्टी एवं आयकर कटौती की राशि रु. 2,17,790.00 (98934+ 118856) को सम्बन्धित सरकारी शीर्ष में जमा कर फलाफल से इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

जबाव में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि राशि को सबंधित शीर्ष में अबिलंब जमा कर दिया जाएगा।

18. दैनिक मजदूरों पर व्यय (रु. 11.58 लाख)

बिहार सरकार के निर्देशानुसार दैनिक मजदूरों/ कर्मियों की नियुक्ति पर प्रतिबंध है/ नगर पंचायत शेरघाटी के लेखापाल रोकड़बही के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मियों पर रु. 1158209.00 का व्यय किया गया था। विवरण परिशिष्ट– III पर उपलब्ध।

उपरोक्त व्यय की Expost Facto स्वीकृति राज्य सरकार से ली जाय । राज्य सरकार से, स्वीकृति मिलने तक व्यय की गयी राशि रु. 1158209.00 अंकेक्षण अपत्ति के अधीन रखी जाती है।

जबाव में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए दैनिक मजदूरों को कार्य पर लगाना नितांत आवश्यक है। बोर्ड की स्वीकृति के पश्चात ही दैनिक मजदूरों एवं कर्मियों को रखा जाता है। जवाब तर्कसंगत एवं संतोषप्रद नहीं है।

19. अग्रिम का समायोजन नहीं

नगर पंचायत शेरघाटी के रोकड़बही जाँच से ज्ञात हुआ कि निम्नलिखित कर्मचारियों / अधिकारियों को नगर पंचायत द्वारा अग्रिम दिया गया जिसका अभी तक समायोजन नहीं हुआ है:–

क्र. सं.	अग्रिम प्राप्तकर्त्ता का नाम	अभिश्रव सं./ तिथि	संदर्भ	राशि
1.	मे॰ अफताब आलम नगर प्रबन्धक	201/27–9–11	इंटरनेट की लिए	3000.00
2.	शिव शरण प्रसाद सफाई जमादार	55/26–7–10	सफाई कार्य	1000.00
3.	मो॰ सोनी टेन्ट हाउस	280/5–12–11	मुहर्रम के लिए अग्रिम (प्रकाश व्यवस्था)	8000.00
			कुल	12000.00

नगर पंचायत द्वारा अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा था। उपरोक्त राशि का समायोजन/वसूली अबिलम्ब करके स्थानीय लेखापरीक्षा को सूचित करें।

जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि अग्रिम समायोजन प्रक्रिया में है।

20. सरकारी अनुदान / बाधित अनुदान

सरकारी अनुदान पंजी का संधारण नहीं किये जाने के कारण लेखापरीक्षा वर्ष के प्रारम्भ (01–04–2010) तथा अंत में अव्यवहृत अनुदान की राशि का आकलन नहीं किया जा

सका। लेखापरीक्षा वर्ष में प्राप्त अनुदान एवं उपयोग किए गए अनुदान की भी वास्तविक स्थिति का आकलन नहीं किया जा सका।

यद्यपि नगर पंचायत शेरघाटी द्वारा संधारित विभिन्न रोकड़बही के आधार पर वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक प्राप्त अनुदान की विवरणी परिशिष्ट– IV पर उपस्थापित है।

बाधित अनुदान

(i) तेरहवें वित्त आयोग अन्तर्गत प्राप्त अनुदान– रु. 84.90 लाख (2010–11 से 12–13)

(ii) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत प्राप्त अनुदान– रु. 140.05 लाख (2011–12 से 12–13)

वर्ष 2010–11 से 12–13 अन्तर्गत तेरहवें वित्त आयोग से कुल रु. 84.90 लाख तथा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत रु. 140.05 लाख प्राप्त हुए जिसके विरुद्ध नगर पंचायत शेरघाटी द्वारा कुछ भी राशि का उपयोग नहीं किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त अनुदान का उपयोग नहीं हो सकने के कारण प्राप्त अनुदान का उद्देश्य विफल हो गया तथा राशि बाधित रहा । अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया। 13वें वित्त से संबंधित दिशा निर्देशानुसार न्यूनतम 50 प्रतिशत राशि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर खर्च करना है जो नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य असंतोषप्रद है।

नगर पंचायत द्वारा जबाव में बताया गया कि अनुदान पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण में दिखलाया जायेगा तथा वर्त्तमान में टेन्डर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है एवं निकट भविष्य में योजना में राशि खर्च करने की कार्यवायी की जा रही है।

21. अप्रस्तुत विविध रसीद

नगर पंचायत, शेरघाटी के वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2012–13 के अंकेक्षण क्रम में पाया गया कि विविध रसीद संख्या 57201 से 57300 अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः उपर्युक्त विविध रसीद की अनुपलब्धता के कारण वसूली गई राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकी और न ही जमा राशि सुनिश्चित की जा सकी।

जबाव में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि उक्त रसीद के विरुद्ध वसूली गई राशि की नगर पंचायत विधि में जमा सुनिश्चित कर महालेखाकार कार्यालय को सूचित कर दी जाएगी।

22. लेखापरीक्षा परिणाम

(i) वसूली हेतु सुझायी गयी राशि– 822505.00

(ii) अंकेक्षण क्रम में जमा की गयी राशि– 18401.00

(iii) अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि– 1783863.00

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– V पर)

१५८

23. कार्यपालक से वार्तालापः

अंकेक्षण में उठाए गए आपत्तियों पर कार्यपालक पदाधिकारी से दिनांक 22.06.2013 को विस्तृत एवं बिन्दुवार चर्चा की गयी।

24. सामान्य अभियुक्तिः

नगर पंचायत शेरघाटी के लेखाओं का संधारण संतोषप्रद नहीं था। उसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। नगर पंचायत के मुख्य अभिलेखों एवं पंजियों का संधारण नहीं किया गया था। अग्रिम पंजी, गृह मांग एवं वसूली पंजी, डिपोजीट रजिस्टर, समायोजन पंजी, अनुदान पंजी एवं सम्पूर्ण मांग का प्रगति प्रतिवेदन इत्यादि को निश्चित रूप से संधारण करें। नगरपालिका करों के पुनर्निर्धारण हेतु प्रभावी उपाय की आवश्यकता है।

–हस्ता0–
(रणजीत कुमार कर्ण)

स.ले.प.अ.
अनुमोदित
उपमहालेखाकार
---सह----
स्थानीय लेखापरीक्षक
बिहार, पटना